न्यायालय अति.जिला कलेक्टर,टोंक

(सुरेश चौधरी, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 40 / 2023
प्रविष्टि दिनांक 28.02.2023

रामअवतार पुत्र सरलाल जाति धाकड निवासी ग्राम रूघनाथपुरा पटवार हलका हिसामपुर तहसील देवली जिला टोंक राज.

.....अपीलांट

बनाम

नायब तहसीलदार नासिरदा जिला टोंक राज0

.....रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्व निर्णय नायब तहसीलदार नासिरदा दिनांक 14.02.2023
मिसल नम्बर 1460 / 2022

उपस्थिति : (1) श्री गजेन्द्र कुमार शर्मा, अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री सावंतराम मीना, राजकीय पेरोकार रेस्पोडेण्ट

दिनांक 17.05.2024

निर्णय

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार नासिरदा ने अपने आदेश दिनांक 14.02.2023 के द्वारा अपीलान्ट को भूमि आराजी खसरा नम्बर 02 रकबा 0.50 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4 रकबा 0.50 हेक्टर किस्म जमीन चरागाह वाके ग्राम रूघनाथपुरा तहसील देवली पर फसल काश्त कर पश्चातवर्ती अतिक्रमण का दोषी मानते हुए अपीलांट को भूमि से बेदखल करने, वार्षिक लगान 8.00 रू. का 50 गुणा जुर्माना कुल 400 रू. जमा कराने तथा 30 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार नासिरदा के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय पेरोकार की बहस सुनी गई।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय विधि विधान एवं तथ्यों के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय के नोटिस की प्रोपर तामिल अपीलांट पर नहीं हुई, तामिल कुनिन्दा द्वारा विधि अनुसार अपीलांट पर तामिल नहीं करायी गई थी। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य सबूत का अवसर दिए बिना ही अपीलान्ट के विरूद्ध एकतरफा में निर्णय पारित कर गलती की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व पटवारी हलका से अपीलान्ट को जिरह का अवसर नहीं दिया और पटवारी हलका द्वारा अपीलान्ट का मौके पर उक्त आराजी पर कब्जा नहीं होने के उपरान्त भी दुर्भावना पूर्वक उक्त भूमि के कब्जे की रिपोर्ट की है और उस रिपोर्ट को आधार बनाकर नायब तहसीलदार द्वारा अपीलान्ट को सजायाब करने में गलती की है। तहसीलदार ने एक ही निर्णय के द्वारा अपीलांट को तीन सजाएं क्रमशः पेनल्टी आरोपित करने, बेदखल करने, सिविल कारावास की सजा का निर्णय पारित किया है। कानूनन इस प्रकार एक ही निर्णय द्वारा सारी सजाये एक साथ दिए जाने का प्रावधान नहीं है। उक्त आराजीयात पर वर्तमान में अपीलान्ट द्वारा अपना कब्जा हटा लिया है और मौके पर अब अपीलान्ट का कब्जा नहीं है। इस संबंध में अपीलान्ट द्वारा शपथ पत्र भी पेश कर दिया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार नासिरदा का निर्णय दिनांक 14.02.2023 को निरस्त फरमाया जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय पेरोकार ने कथन किया कि अपीलांट को विधि अनुसार जरिये नोटिस तलब किया गया है। नोटिस पर अपीलांट की प्रोपर तामील हुई है व अतिक्रमी अधीनस्थ न्यायालय में अनुपस्थित रहा है। अपीलान्ट ने भूमि आराजी खसरा नम्बर 02 कुल रकबा 4.38 हैक्टेयर में से 0.50 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 4 कुल रकबा 6.95 में से 0.50 हेक्टर किस्म जमीन चरागाह पर फसल काश्त कर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि अपीलान्ट ने उक्त आराजी खसरा नम्बर पर इससे पूर्व भी अतिक्रमण किया था जिसे मिसल संख्या 784/22 से निर्णय पारित किया जाकर बेदखल कर दिया गया था किन्तु अपीलांट ने पुनः उक्त भूमि पर काश्त कर भूमि पर अनाधिकृत कब्जा किया है। अतिक्रमी सरकारी भूमि पर बार बार अतिक्रमण करने का आदी है, उपलब्ध दस्तावेजात से अपीलाण्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना सिद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें।

हमने अभिभाषक अपीलान्ट व राजकीय पेरोकार की बहस को सुना एवं बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। अपीलान्ट ने अतिक्रमित भूमि से अपना कब्जा हटा लेने व भविष्य में पुनः कब्जा नहीं

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

करने का शपथ पत्र पेश किया था जिसकी सत्यता की जांच हेतु नायब तहसीलदार नासिरदा से कब्जा संबंधी मौका रिपोर्ट तलब की गई। नायब तहसीलदार नासिरदा ने मौका रिपोर्ट पत्र कमांक 703 दिनांक 15.05.2024 से प्रेषित की जिसमें अंकित किया हैं कि वर्तमान में कोई फसल काश्त नहीं है। उक्त अतिकमी का कोई कब्जा या अतिकमण नहीं है। मौके पर उक्त भूमि खाली होकर पडत है। मौका रिपोर्ट से स्पष्ट होता हैं कि अपीलांट का अतिकमित भूमि पर वर्तमान में कोई कब्जा नहीं है। अतः ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार नासिरदा के निर्णय दिनांक 14.02.2023 के जरिये की गई दोष सिद्धी एंव अर्थ दण्ड को यथावत रखा जाता है, परन्तु अपीलांट को दी गई सिविल कारावास की सजा अपास्त की जाती है। अपीलांट को हिदायत दी जाती हैं कि यदि उसके द्वारा भविष्य में उक्त भूमि अथवा अन्य किसी सरकारी भूमि पर अतिकमण किया जाता हैं तो उसके विरूद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही की जावेगी। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 17.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश चौधरी)
अति. जिला कलेक्टर
टोंक